न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – चरकू साहु ......बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 68 / 2022

द्वितीय पक्ष – सुखराम साहु .... बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
30/1/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 46 / 2022 दिनांक 10 / 09 / 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) चरकु साहु उम्र 55 वर्ष (2) शीतल साहु उम्र 52 वर्ष दोनों पिता स्व0 रामनथ साहु (3) महाबीर साहु उम्र 57 वर्ष पिता स्व0 बोधन साहु तीनों ग्राम पतुरा, थाना बसिया, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) सुखराम साहु उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 चरका साहु (2) सहोदरी देवी उम्र 52 वर्ष पति स्व0 चरका साहु (3) पदमनी देवी उम्र 50 वर्ष पति स्व0 बहुरा साहु (4) मंगरा साहु उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 चमरू साहु चोरो ग्राम पतुरा, थाना बसिया जिला गुमला के बीच खाता सं0 28, प्लॉट सं0 178, रकबा 0. 04 एकड़ भूमि में मकान बनाने को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्त्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2023.02.04 13:04:40 +05:30 Location: 192.168.156.240	